

सेवा में

उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी / जिला कृषि अधिकारी /

सहायक परियोजना अधिकारी / विशयवाद विशेषज्ञ,

.....जिला.....हि0 प्र0 ।

लाभार्थी	का
पासपोर्ट	
आकार	का
फोटो	

विषय : बजट आश्वासन के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा के तहत लघु/मध्यम उठाऊ सिंचाई, उथला कुआ, उथला नलकूप, जल उठाऊ पम्प, जल वहन पाईप योजना और जल भण्डारण टैंक के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रार्थना पत्र ।

श्रीमान जी,

मैं.....सपुत्र/सपुत्री/पत्नी श्री.....गांव.....
.....डाकघर.....ग्राम पंचायत.....ब्लाक.....तहसील.....

जिला.....हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हूँ । मेरी किसान पास बुक के अनुसार.....मलकीयत भूमि है जिसमें सेभूमि फसलों के अन्तर्गत है । मैं उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता द्वारा.....सिंचाई योजना का निर्माण करना चाहता हूँ । सिंचाई हेतु मेरे पास साधन उपलब्ध है/नहीं है । अतः मैं इसके लिए भी आवश्यक सहायता चाहता/चाहती हूँ, का सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से दे रहा/रही हूँ:-

क	प्रार्थी का विवरण	
	क्या प्रार्थी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता है हां/ नहीं	
	क्या प्रार्थी गरीबी रेखा के नीचे [बी.पी.एल]से सम्बन्ध रखता है हां/ नहीं	
	आधार कार्ड नं0	
ख	बैंक खाता विवरण किसान का नाम[बैंक रिकार्ड के अनुसार] खाता संख्या बैंक का नाम तथा बैंक शाखा का पता आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित	
ग	भूमि सम्बन्धी विवरण कुल भूमि, किसान पास बुक के अनुसार फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (क) सिंचित क्षेत्र (ख) असिंचित क्षेत्र (ग) अन्य घासनी इत्यादि	
घ.	पानी का स्रोत यदि उपलब्ध है, पूर्ण विवरण सहित ब्यौरा	
ड.	असिंचित क्षेत्र जहां उपरोक्त योजना प्रस्तावित है: है0/ बीघा (क) इस क्षेत्र में वर्तमान में लगाई जा रही फसलों का ब्यौरा । फसल का नाम क्षेत्रफल (ख) सिंचाई के बाद लगाई जाने वाली फसलों का ब्यौरा फसल का नाम क्षेत्रफल	
च.	योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता निम्न 1, 2, 3 व 4 मर्दों के बारे में स्पष्ट करें । 1. जल भण्डारण टैंक (क्षमता घन मी0) 2. लघु उठाऊ सिंचाई योजना:- 3. मध्यम उठाऊ सिंचाई योजना:- 4. उथला कुआ योजना:- 5. उथला नलकूप योजना:-	

6. जल परिवहन पाईप योजना:- (पाईप के ब्यास सहित विवरण)	
7. जल उठाऊ पम्प योजना:- (सोलर/ विद्युत/ डीज़ल/मिट्टी तेल चलित मोनो ब्लाक/ सम्बरसिबल पम्प का विवरण हौर्सपावर सहित)	

उपर दी गई सूचना पूर्ण रूप से ठीक है तथा मैं योजना में दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ ।
अतः आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे उपरोक्त दर्शायी गई मदों हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की जाये ।

भवदीय

किसान के हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

टेलीफोन/मोबाईल न0.....

निम्नलिखित संलग्न प्रतियां :

- 1 भू0 अभिलेख की मूल प्रति
- 2 राशन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति
- 3 आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति

**Self undertaking to be given on Judicial Paper
(After receiving the sanction from DNO/PIA).**

I /we _____
 S/o Sh. _____ R/o Vill. _____ P.O. _____
 Tehsil _____ Gram Panchayat _____
 Distt. _____ Himachal Pradesh hereby undertake the
 following:

1. That I am eligible to receive project assistance amounting to ' _____ after the creation of infrastructure mentioned above.
2. That I will utilize and maintain the infrastructure created through project assistance for a period of minimum of five years.
3. That I will use the infrastructure for raising vegetable and other suitable crops.
4. That I have not availed any assistance from any other govt. institution for the creation of same infrastructure approved as per Sr. No.1 above.
5. That the contents of my application submitted to the Agriculture Department for sanction of project assistance are correct and no part of it is wrong and nothing has been concealed there from.
6. That I will part with my share (50%) for the installation of infrastructure.
7. That I will make arrangement for electricity and water etc. at the site.
8. That I will complete the work within stipulated / fixed time schedule of 90 days for storage tanks, small, medium lifts, shallow wells, shallow bore well & pumping machinery and I will not be eligible for govt. assistance otherwise.

I further undertake that in the event of departure from the above i.e. Sr. No. 1 to 8, I shall be eligible to refund the whole or part of the project assistance as the case may be to the project sanctioning authority i.e. District Nodal Officer/ PIA (SDSCO) _____ H.P.

Deponent.

Verification:

I the above named deponent do hereby solemnly admit and verify that the above given contents are true and correct and no part of it is false and nothing has been concealed there from.

Verified _____ on this _____ day of
 _____ 2015.

Deponent.

4	प्रवाह सिंचाई योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो तथा उनके क्षेत्र में ऐसी योजना बनाने के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।	इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कूहलों के स्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सामुदायिक कार्यों का शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	सामुदायिक लघु बहाव सिंचाई योजनाओं के लिए संबन्धित लाभार्थियों/किसानों का सामुहिक आवेदन पत्र, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबन्दी और ततिमा तथा अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि	समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
---	---------------------	--	---	--------------------------	---	--	-------